

भारत गणराज्य की सरकार और वेनेजुएला गणराज्य की सरकार के बीच सांस्कृतिक करार ।

-----

भारत गणराज्य की सरकार और वेनेजुएला गणराज्य की सरकार  
§ इसके बाद इन्हें " संविदाकारी पक्षकार " कहा जाएगा § ।

समानता, सम्मान और आन्तरिक कार्यों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धान्तों के आधार पर घनिष्ठ सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित तथा विकसित करने की इच्छा से प्रेरित होकर ;

कला, साहित्य, शिक्षा, इतिहास, खेल और अन्य सांस्कृतिक तथा शैक्षिक विषयों के क्षेत्रों में बेहतर पारस्परिक सहभाव को प्रौन्नत करने की इच्छा से ,

निम्नलिखित करार पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हुई हैं :

अनुच्छेद - 1

संविदाकारी पक्षकार अपनी-अपनी राष्ट्रीय संस्कृतियों की बेहतर जानकारी की दिशा में योगदान करने के प्रयोजन से तथा प्रत्येक देश के कानूनी मानदंडों के अनुसार संस्कृति, कला, शिक्षा और खेल के क्षेत्रों में तथा इन क्षेत्रों में शैक्षिक कार्यक्रमों में भी सहयोग को सुकर बनाएंगे तथा प्रोत्साहित करेंगे ।

अनुच्छेद- 11

संविदाकारी पक्षकार निम्नलिखित को प्रोत्साहित करेंगे तथा सुकर बनाएंगे :

1. § व्याख्यान देने, अध्ययन दौरों और विशेष कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रोफेसरों और विशेषज्ञों के पारस्परिक दौरे ;

- 2॥ काग्रेसों, सम्मेलनों, संगोष्ठियों और सेमिनारों में भाग लेने के लिए शैक्षिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, कलात्मक और खेल संघों और संगठनों के प्रतिनिधियों के पारस्परिक दौरे ;
- 3॥ मुद्रित सामग्री, श्रव्य-दृश्य और सांस्कृतिक स्वरूप की अन्य सामग्री का आदान-प्रदान, जो इस करार के उद्देश्यों को सुदृढ़ और व्यापक करने में योगदान करेगी, और जहां कहीं संभव हो कला वस्तुओं की प्रतियों का आदान-प्रदान ;
- 4॥ पुरातत्वविदों द्वारा भ्रमणों के सम्बन्ध में पारस्परिक सुविधाएं ताकि वे खुदाई कार्य, खोजी गई पुरातत्वीय वस्तुओं के परिरक्षण और प्रदर्शन में प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त कर सकें ।
- 5॥ कलाकारों, रकल वादकों और संगीतात्मक लोक कथा, नृत्य तथा थियेटर दलों का आदान-प्रदान ;
- 6॥ कलात्मक, सूचनात्मक, ऐतिहासिक और पुरातत्वीय स्वरूप की प्रदर्शनियां ;
- 7॥ दोनों में से कितनी के भी देश में आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय उत्सवों के दौरान दोनों पक्षकारों की फिल्मों और विशेषज्ञों तथा निर्माताओं के दौरों के विनिमय के माध्यम से चल-चित्रकला के क्षेत्र में सहयोग ;

अनुच्छेद - 111

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार अपनी उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थाओं में अध्ययन के लिए दूसरे देश के छात्रों और विशेषज्ञों को सुविधाएं तथा छात्रवृत्तियां प्रदान करने का प्रयास करेगा ।

अनुच्छेद-IV

दोनों पक्षकार, राष्ट्रीय कानूनों का पालन करते हुए, विश्व-विद्यालय और उच्च शिक्षा के लिए डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र और डिग्रियां प्रदान करने के वास्ते, पहले से स्वीकृत पाथमिकताओं के क्रम के अनुसार समानार्थकता और समकक्षता स्थापित करने के उद्देश्य से, पूर्वापेक्षाओं की जांच करने का उत्तरदायित्व लेगी।

अनुच्छेद-V

दोनों पक्षकार, रेडियो, दूरदर्शन और प्रेस के संचार-साधनों के माध्यम से, दूसरे के जीवन और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को चित्रित करने का प्रयास करेंगी।

इसके लिए, वे रेडियो और दूरदर्शन कार्यक्रमों की रिकार्डिंगों, संगीतात्मक डिस्कों, और पर्यटक तथा लोक-कथा सामग्री का आदान-प्रदान करेंगी।

अनुच्छेद-VI

दोनों पक्षकार खेल सम्बन्धी अलग-अलग व्यक्तियों तथा टीमों दोनों, के आदान-प्रदानों को तुरंत बनाएगी तथा इस क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने वाले कार्य को प्रोत्साहित करेंगी।

अनुच्छेद-VII

संविदाकारी पक्षकार, जहां तक संभव हो, यह अनिश्चित करेंगी कि उनकी शैक्षिक संस्थाओं के लिए निर्धारित पाठ्य-पुस्तकों, विशेषकर



इतिहास और भूगोल से सम्बन्धित पाठ्य-पुस्तकों में तथ्यों का ऐसा कोई गलत अथवा मिथ्या वर्णन न हो, जिससे एक दूसरे के देश की क्षति पहुँचती हो ।

अनुच्छेद - VIII

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार, वर्तमान करार के अनुसार, अपने क्षेत्र में, दूसरे संविदाकारी पक्षकार अथवा संविदाकारी पक्षकारों द्वारा संयुक्त रूप से, शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यों में लगे सांस्कृतिक संस्थानों अथवा मैत्री संघों की स्थापना का स्वागत करेगा ।

इस प्रकार के संस्थानों और संघों की स्थापना मेजबान देश के कानूनों, विनियमों और सामान्य नीति के अनुसार की जायेगी । यह समझ लिया गया है कि मेजबान सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त की जायेगी ।

अनुच्छेद- IX

दोनों पक्षकार इस बात से सहमत हैं कि इस करार के अनुपालन में आदान-प्रदानों और सहयोग के विभिन्न कार्यक्रम तथा कार्यान्वयन की शर्तों, वित्त व्यवस्था और प्रक्रिया, राजनयिक माध्यमों से निर्धारित तथा कार्यान्वित की जायेगी ।

अनुच्छेद- X

वर्तमान करार की व्याख्या अथवा उसे लागू करने में उत्पन्न होने वाले मतभेद अथवा विवाद राजनयिक माध्यमों से पक्षकारों के बीच परामर्श से निपटाए जायेंगे ।

अनुच्छेद-x।

यह करार उस तारीख से तत्काल लागू हो जाएगा, जब दोनों संविदाकारी पक्षकार एक दूसरे को यह सूचित कर दें कि उन्होंने अपने-अपने देश में निर्धारित कानूनी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया है ।

अनुच्छेद- x।।

यह करार इसके लागू होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा और इतनी ही तथा क्रमवर्ती अवधियों के लिए स्वतः बढ जाएगा जब तक कि संविदाकारी पक्षकारों में से एक पक्षकार जिस तारीख से इसे समाप्त करना चाहता है उस तारीख से छः §6§ महीने पहले इसे समाप्त करने की लिखित सूचना नहीं देता ।

कडाकाठ में एक हजार नौ सौ चौरासी के सितम्बर के तेरहवें  
----- दिन छः §6§ मूल प्रतियों में, हिन्दी भाषा, स्पेनिश भाषा, और अंग्रेजी भाषा में दो-दो प्रतियों में किया गया । सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक होंगे, तथापि, संदिह की दशा में, अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा ।


भारत गणराज्य की  
सरकार की ओर से



§ पी० के० शुभन §

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज  
कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री

वेनेजुएला गणराज्य की  
सरकार की ओर से



§ डा०, हरमन नावा कैरिजो §  
विदेश उप मंत्री

CULTURAL AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT  
OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT  
OF THE REPUBLIC OF VENEZUELA

---

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Venezuela, (hereinafter referred to as the "Contracting Parties").

Inspired by the desire to establish and develop close cultural relations between Government and Peoples, based on the principles of equality, respect and non-intervention in internal affairs;

Desirous of promoting better mutual understanding in the fields of art, literature, education, history, sports and other cultural and academic disciplines,

Have agreed to sign the following AGREEMENT:

ARTICLE I

The Contracting Parties shall facilitate and encourage cooperation in the fields of culture, art, education and sports as also academic activities in those fields with the purpose of contributing towards a better knowledge of their respective national cultures and according to the legal norms of each country.

ARTICLE II

The Contracting Parties shall encourage and facilitate:

1. - Reciprocal visits of professors and experts for delivering lectures, study tours and conducting special courses.



2. - Reciprocal visits of representatives of educational, literary, cultural, scientific, artistic and sports associations and organisations to participate in congresses, conferences, symposia and seminars;
3. - Exchange of printed materials, audio-visuals and other of cultural character that will contribute to strengthen and widen the objectives of this AGREEMENT, and whenever possible exchange copies of artistic objects.
4. - Reciprocal facilities in regard to visits by archaeologists to enable them to gain experience and training in excavation, preservation and display of archaeological finds.
5. - Exchange of artists, soloists and musical folklore, dance and theatre groups;
6. - Exhibitions of artistic, informative, historic and archaeological nature;
7. - Cooperation in the field of cinematography by way of exchange of films and visits of experts and producers from both parties during national and international festivals which may be held in the territory of either of them;

### ARTICLE III

Each contracting party shall endeavour to provide facilities and scholarships to students and specialists of the other country to study in its institutions of higher education and research.

### ARTICLE IV

Both Parties shall undertake, complying with national legislations, the examination of pre-requisites in the matter of granting diplomas, certificates and degrees for

university and higher education with the object of establishing synonymity and equivalence in accordance with a previously agreed order of priorities.

ARTICLE V

Both Parties shall, through the media of radio, television and press endeavour to portray the diverse aspects of life and culture of the other.

To that effect they shall exchange recordings of radio and T.V. programmes, musical discs, and tourist and folklore materials.

ARTICLE VI

Both Parties shall facilitate sports exchanges, both of individuals and teams, and encourage such action as will lead to cooperation in this field.

ARTICLE VII

The Contracting Parties shall, to the extent possible, ensure that text-books prescribed for their educational institutes, particularly those relating to history and geography, do not contain any error or misrepresentation of facts damaging about each other's country.

ARTICLE VIII

Each Contracting Party shall welcome the establishment in its territory of cultural institutes or friendship associations devoted to educational and cultural pursuits by the other Contracting Party, or the Contracting Parties jointly, in accordance with the present AGREEMENT.



Such institutes and associations shall be established in accordance with the laws, regulations and general policy of the host country, it being understood that prior clearance of the Host Government would be obtained.

ARTICLE IX

Both Parties agree that the different programmes of exchanges and cooperation in pursuance of this agreement as well as the terms, conditions, financing and procedures of implementation shall be settled and carried out through diplomatic channels.

ARTICLE X

The differences or controversies which may arise from the interpretation or application of the present AGREEMENT, shall be resolved by consultation between the Parties through diplomatic channels.

ARTICLE XI

This AGREEMENT shall enter into force immediately on the date the two contracting Parties have notified each other of their having completed the legal formalities laid down in their respective countries.

ARTICLE XII

This AGREEMENT shall remain in force for a period of five years from the date it comes into force and shall be automatically extended by equal and successive periods unless one of the Contracting Parties denounces it through written notice given six(6) months prior to the date on which it is desired to terminate.

Signed in Caracas on thirteenth day of September  
nineteen eightyfour in six (6) originals, two in Hindi,  
two in Spanish language, and two in English language,  
all the texts being equally authentic. However, in case  
of doubt, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF INDIA



( P.K. THUNGON )  
DEPUTY MINISTER IN THE  
MINISTRIES OF EDUCATION AND  
CULTURE AND SOCIAL WELFARE

FOR THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF VENEZUELA



( DR. GERMAN NAVA CARRILLO )  
DEPUTY MINISTER OF  
FOREIGN AFFAIRS